

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-BRRDA(HQ) MMGSY-NDB -477/24 - 1375 /पटना, दिनांक:-17/10/24

प्रेषक,

श्रीप्रकाश,

अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-2,

ग्रामीण कार्य विभाग,

बिहार, पटना।

विषय:-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (AWSESH) अंतर्गत MMGSY(AWSESH)-NDB-BRRP2-220-RAJAUJI (Tender ID-131757) के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता-2 (गया), ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक-942 अनु०, दिनांक-20.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 14.10.2024 को विभागीय सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में अंकित निविदा का कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर एक प्रति ज्ञापन लगाकर नोडल पदाधिकारी, MMGSY को e-mail-mmgsyrwd@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

24 घंटे के अन्दर निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:- निविदा समिति की कार्यवाही की प्रति।

विश्वासभाजन

(श्रीप्रकाश)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ) MMGSY-NDB -477/24 - 1375 /पटना, दिनांक:- 17/10/24

प्रतिलिपि:- IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग, को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- BRRDA(HQ) MMGSY-NDB -477/24 - 1375 /पटना, दिनांक:-17/10/24

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

25

दिनांक - 14.10.2024 को अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

- श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री श्रीप्रकाश, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री शत्रुघ्न प्रसाद, मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग।
- श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग।

- बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से पुनर्निविदा में प्राप्त की गयी निम्न तालिका के क्रमांक-1 के निविदा के तकनीकी बीड पर सक्षम प्राधिकार अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य घोषित किये गये एकल निविदाकार के वित्तीय बीड की तुलनात्मक विवरणी के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत् तालिका "Summary of Financial Bids" के अनुरूप है।

Summary of Financial Bids											
Sl. No.	Name of Division	NIT No.- (Re-Tender)	Name of Package	AA Amount	Total No. of	Name of Successful	Bid Amount (in Rs.)	Quoted	Quoted Amount (in Rs.)		Remarks
									In Figure	In Word	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rajauli	RWD/MMGSY (AWSESH)/HQ/ET/ 2023-24/24(R) PR No-015191 (RWD) 2023-24	MMGSY(AWSE SH)-NDB- BRRP2-220- RAJAULI (Tender ID- 131757)	76.768	4/1	Mithilesh Kumar (Bid ID- 575407)	7379089.94	0.00	7379089.94	Seventy Three Lakh Seventy Nine Thousand Eighty Nine only	Re-Tender/ Single Bid. Hence Sanctioned.

- बिहार सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-एम-4-12/2015-7806/वि०, दिनांक-30.09.2016 के आलोक में विभागीय निविदा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त कंडिका-2 की तालिका के कॉलम-4 में अंकित निविदा समूह को तालिका के कॉलम-7 में अंकित निविदाकार द्वारा तालिका के कॉलम-11 में उद्धृत दर पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- स्वीकृत निविदा समूह के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता, NIT एवं SBD के निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:-
 - पैकेज में अंकित योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि की अनुज्ञेय सीमा से अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - SBD (ITB)की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र में है तथा उसकी वैधता है, का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे।
 - पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परक्रमित दर, Bid Capacity आदि सही है। संवेदक के Bid Validity Period एवं वांछित Bid Capacity की राशि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे।

- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
- (v) कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-14/अ०प्र०-03-21/2021-489 अनु०, दिनांक-28.01.2021 के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एकरारनामा, General Condition of Contract(GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियुक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (Contract Data का क्रमांक-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (Contract Data sheet का क्रमांक-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidity Damage वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। (कंडिका-52.2(a))
- (xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। (कंडिका-52.2(c))
- (xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। (कंडिका-46.2 एवं 52.2(d))
7. संबंधित अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा की शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।

8. अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA कार्यों की समीक्षा मासिक अन्तराल पर करेंगे, जिसमें संबंधित अधीक्षण अभियंता समेकित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।
9. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
10. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे SBD के सुसंगत कंडिकाओं के आलोक में Earnest Money/Security Deposit/Performance Security के रूप में दिये गये Bank Guarantee/ अन्य उपकरण बिहार में अवस्थित राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंकों/डाकघरों द्वारा ही निर्गत हो तथा संबंधित शाखा से सत्यापित किया गया हो।
12. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग सफल निविदाकार को 24 घंटे के भीतर Letter of acceptance (LOA) निर्गत करते हुए इसकी प्रति संबंधित अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA एवं अभियंता प्रमुख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14/10/24
 (आमीर नैय्यर)
 आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 बिहार, पटना।

14.10.2024
 (शत्रुघ्न प्रसाद)
 मुख्य अभियंता-2,
 ग्रामीण कार्य विभाग।
 बिहार, पटना।

14.10.2024
 (श्रीप्रकाश)
 अभियंता प्रमुख
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 बिहार, पटना।

14/10/2024
 (दीपक कुमार सिंह)
 अपर मुख्य सचिव,
 ग्रामीण कार्य विभाग,
 बिहार, पटना।